राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3719/2024

प्रियंका माथुर पत्नी ऋषि माथुर, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी 44 पवन विहार, बी.आर. बिरला स्कूल के पास, झंवर रोड, जोधपुर (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सरकार के सचिव के माध्यम से, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर, राजस्थान।
3. उप निदेशक (नर्सिंग), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर, सेंट्रल जेल रोड, शिव रोड, रातानाडा, जोधपुर।
5. अधीक्षक, उम्मेद अस्पताल, जोधपुर

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री ऋषभ पुरोहित।

प्रतिवादी(ओं) के लिए:

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश(मौखिक)</u>

<u>रिपोर्ट योग्य</u>

<u>19/03/2024</u>

1. यहां याचिकाकर्ता, जो मृतक सरकारी कर्मचारी की विवाहित पुत्री है, की शिकायत दिनांक 08.02.2024 (अनुबंध 13) और 24.01.2022 (अनुबंध 9) के आदेशों से उत्पन्न हुई

है, जिसके तहत अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसका आवेदन / दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि केवल मृतक कर्मचारी का पुत्र ही इसके लिए हकदार है। वह विवाहित पुत्री होने के कारण सरकारी नौकरी का लाभ नहीं ले सकती है।

2. संक्षेप में, प्रासंगिक तथ्य, जैसा कि दलील दी गई है, ये हैं:

2.1 याचिकाकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था लेकिन उसका आवेदन दिनांक 08.02.2024 (अनुबंध 13) के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता मृतक सरकारी कर्मचारी की विवाहित पुत्री है। प्रतिवादियों ने ऐसी नियुक्ति के लिए उसके दावे को केवल इस कारण से खारिज कर दिया है कि केवल मृतक सरकारी कर्मचारी का पुत्र ही अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र है। उनका दावा है कि विवाहित पुत्री भी इस माननीय न्यायालय द्वारा प्रियंका श्रीमाली एवं मीनाक्षी त्रिवेदी के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार नियुक्ति के लिए पूर्णतः पात्र है। इसलिए यह रिट याचिका।

3. आरोपित आदेश में लिया गया स्टैंड यह है कि मृतक कर्मचारी के पुत्र श्री रवि माथुर को अनुकंपा नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि, बाद में मृतक की विवाहित पुत्री श्रीमती प्रियंका माथुर ने 08.11.2021 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। प्रशासनिक विभाग की टिप्पणियों और राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.10.2021 के अनुसार विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति तभी दी जाती है, जब मृतक राज्य कर्मचारी का कोई अन्य आश्रित उपलब्ध न हो। इस मामले में मृतक कर्मचारी श्रीमती लीला माथुर के पुत्र श्री रवि माथुर की उपलब्धता के कारण श्रीमती प्रियंका माथुर को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं।

5. बेशक, याचिकाकर्ता के भाई रवि माथुर ने वास्तव में प्रस्तावित पद को ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने वास्तव में 09.11.2021 (अनुलग्नक 8) दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि उनकी बहन प्रियंका माथुर को उक्त नियुक्ति दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार उन्होंने यह उम्मीद करते हुए नौकरी ज्वाइन नहीं की कि उनकी बहन को इसका लाभ मिलेगा।

6. इस प्रकार जो संक्षिप्त विवाद सामने आता है, वह यह है कि क्या 28.10.2021 की अधिसूचना/परिपत्र के स्पष्ट आधार पर याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश प्रियंका श्रीमाली बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (सिविल संदर्भ संख्या 1/2022) और 13.09.2022 को तय किए गए अन्य संबंधित मामलों में इस न्यायालय की

पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के मद्देनजर टिकने योग्य है। 5. वास्तव में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने मीनाक्षी त्रिवेदी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 16830/2022 में 25.01.2024 को दिए गए एकल पीठ के फैसले की ओर भी मेरा ध्यान आकर्षित किया है। प्रियंका श्रीमाली (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए वही फैसला सुनाया गया है। उन्होंने कहा है कि उक्त रिट याचिका में, एक मृतक कर्मचारी की समान स्थिति वाली विवाहित पुत्री, जिसका दावा भी 28.10.2021 के परिपत्र पर भरोसा करते हुए खारिज कर दिया गया था, को प्रतिवादी विभाग को उसमें निर्देश जारी करके विचार करने का निर्देश दिया गया था।

6. मीनाक्षी त्रिवेदी (सुप्रा) में दिए गए फैसले को देखने के बाद, मैं याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत हूं।

7. आगे बढ़ने से पहले, आइए पहले मीनाक्षी त्रिवेदी (सुप्रा) में दिए गए फैसले को देखें, जिसका प्रासंगिक हिस्सा नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> “7. यह न्यायालय यह भी देखता है कि याचिकाकर्ता के पिता (मृतक सरकारी कर्मचारी) की मृत्यु 20.01.2021 को हो गई थी और यह अनुलग्नक-1 में दर्शाया गया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने तुरंत प्रतिवादी संख्या 5 के समक्ष अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया; इसे सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ प्रतिवादी संख्या 3 को दिनांक 02.03.2021 के संचार के माध्यम से संदर्भित किया गया था। 7.1. यह न्यायालय आगे देखता है कि राज्य सरकार ने 28.10.2021 को नियम 1996 के नियम 2(सी) के तहत आश्रित की परिभाषा में संशोधन किया और उक्त संशोधन की प्रयोज्यता प्रकृति में भावी थी, न कि पूर्वव्यापी, और यही बात प्रतिवादी के दस्तावेज (उत्तर के अनुलग्नक आर/1) में भी कही गई थी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का मामला 28.10.2021 की अधिसूचना के माध्यम से पेश की गई ‘आश्रित’ की संशोधित परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। 8. यह न्यायालय यह भी देखता है कि याचिकाकर्ता का मामला 1996 के नियमों के नियम 2(सी) के तहत 'आश्रित' की पुरानी परिभाषा के अनुसार शासित होता है, और उक्त पुरानी परिभाषा में, विवाहित पुत्री को प्रियंका श्रीमाली (सुप्रा) के मामले में वृहद पीठ द्वारा शामिल किया गया था। यह न्यायालय आगे देखता है कि नियम 2(सी) के तहत 28.10.2021 को पेश की गई वर्तमान परिभाषा में ही "विवाहित पुत्री" शब्द जगह पाते हैं, यदि उपरोक्त खंड

(ii) और (iii) में उल्लिखित मृतक सरकारी कर्मचारी का कोई अन्य आश्रित उपलब्ध नहीं है; लेकिन 1996 के नियमों में निहित 'आश्रित' की पुरानी परिभाषा में उक्त शर्त का उल्लेख नहीं है।

9. यह न्यायालय आगे देखता है कि 'आश्रित' की पुरानी परिभाषा में, अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता के रूप में पहली श्रेणी के संबंध में ऐसी कोई शर्त नहीं है, और विवाहित पुत्री को भी प्रियंका श्रीमाली (सुप्रा) के पूर्वोक्त मिसाल कानून में वृहद पीठ द्वारा शामिल किया गया था। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता मृतक सरकारी कर्मचारी की पुत्री है तथा मृतक सरकारी कर्मचारी का एक पुत्र भी था- पुनीत त्रिवेदी, तथा 28.10.2021 को अधिसूचित नियम 1996 के नियम 2(सी) के अंतर्गत आश्रित की वर्तमान परिभाषा के अनुसार पुत्र अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र आश्रितों की प्रथम श्रेणी में आता है; किन्तु वर्तमान मामला आश्रित की वर्तमान परिभाषा के अंतर्गत शासित नहीं है, अपितु पुरानी परिभाषा द्वारा शासित है, क्योंकि मामला एवं वाद का कारण तथा विचाराधीन अधिकांश अभ्यास 28.10.2021 की संशोधन अधिसूचना से पूर्व की अवधि से संबंधित है। 10. यह न्यायालय यह भी देखता है कि परिवार के एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु हो गई, तथा उसके पश्चात पूरे परिवार को न केवल भावनात्मक कठिनाई का सामना करना पड़ा, बल्कि वित्तीय कठिनाई का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि पूरा परिवार उस पर आश्रित था, अतः अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य शोकाकुल परिवार को तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करना है। इस न्यायालय ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता, जो कि एक विवाहित पुत्री है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, कानून के स्थापित प्रस्ताव के अनुसार भी, विचाराधीन अनुकंपा नियुक्ति के लिए पूरी तरह से पात्र है।

11. इस प्रकार, उपरोक्त टिप्पणियों के प्रकाश में और वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के साथ-साथ पूर्व-उद्धृत मिसाल कानून को देखते हुए, वर्तमान याचिका को अनुमति दी जाती है। तदनुसार, 31.03.2022 (अनुलग्नक-5) के विवादित संचार को रद्द और अलग करते हुए, प्रतिवादियों को इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता को ऐसी अनुकंपा नियुक्ति के

सभी लाभ भविष्य में संचालित होंगे। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है।"

8. उपरोक्त के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि विवाहित पुत्री को उसके विवाह के आधार पर दावे से वंचित नहीं किया जा सकता, जब तक कि वह अन्यथा ऐसा लाभ प्राप्त करने की हकदार हो।

9. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के भाई ने याचिकाकर्ता के पक्ष में 'अनापत्ति' दी है और तदनुसार मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि मृतक कर्मचारी के जीवित आश्रितों में से किसी एक को राज्य की लागू नीति के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति का लाभ क्यों न दिया जाए।

10. तदनुसार, दिनांक 24.01.2022 (अनुलग्नक 9) और 08.02.2024 (अनुलग्नक 13) के आरोपित आदेश अपास्त किए जाते हैं। प्रतिवादियों के सक्षम प्राधिकारी को मीनाक्षी त्रिवेदी (सुप्रा) और प्रियंका श्रीमाली (सुप्रा) में दिए गए निर्णयों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन/दावे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

(अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।